

### असाधारण

### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 603]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 31, 2016/भाद्र 9, 1938

No. 603]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 31, 2016/BHADRA 9, 1938

## कोयला मंत्रालय

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2016

सा.का.नि. 837(अ).—केन्द्र सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 9 (ख) की उप-धारा (5) और (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोयला, लिग्नाइट और भराई के लिए रेता के संबंध में खान और खनन (जिला खनिज संस्थान में अभिदाय) नियम, 2015 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातु:-

- ये नियम खान तथा खनिज (जिला खनिज संस्थान में अभिदाय) (संशोधन) नियम, 2016 कहे जाएंगे।
  खान और खनिज (जिला खनिज, संस्थान में अभिदाय) नियम, 2015 में नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
  - "3. **तारीख जिससे अभिदाय किया जाना है.**—नियम 2 में विनिर्दिष्ट दर से संगणित राशि 12 जनवरी, 2015 से अदा की जाएगी।"।

[फा. सं. 11033/3/2015-सीए-II]

आर. पी. गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम दिनांक 20 अक्तूबर, 2015 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 792(अ) के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II-खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे।

4226 GI/2016 (1)

# MINISTRY OF COAL NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2016

**G.S.R. 837(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (5) and (6) of section 9B of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules in respect of coal, lignite and sand for stowing, to amend the Mines and Minerals (Contribution to District Mineral Foundation) Rules, 2015, namely:-

1. These rules may be called as the Mines the Minerals (Contribution to District Mineral Foundation) (Amendment) Rules, 2016.

In the Mines and Minerals (Contribution to District Mineral Foundation) Rules, 2015, for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:-

"3. **Date from which contribution to be made.**—The amount calculated at the rate specified in rule 2 shall be paid with effect from the 12<sup>th</sup> January, 2015.".

[F. No 11033/3/2015-CA-II]

R. P. GUPTA, Jt. Secy.

**Note**: The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II- Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 792(E) dated the 20<sup>th</sup> October, 2015.